

6/12/22 | पार्थी व पार्थी के वकील अनुपमिता न्यायालय समय में
एक-एक कर तीन बार धावा जे लगाई गई बावजूद पार्थी
व पार्थी के वकील जे हाजिर रहे। फलतः पत्रावली डिस्क
पैरवी व जे हाजिरी में खारिज की जाती है। पत्रावली
कुल नुमांदा होकर साबिले सफर हो वरम नुमांदा के
कम हो।

सहायक कलेक्टर
SNO धोगीमन्ना

